न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

अब्दुल रसीद बनाम हसन

किस्म मुकदमा 225 RTA मु. नं. 7 वर्ष 2019

दिनांक	आज्ञा पत्र	
5-2-19	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1535,1536,1508,1529,1537,1527,1528 के सन्दर्भ मे पैतृक हक हिस्सा होने का कथन कर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई आदेश दिनांक 24.12.2018 से विवादित भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने, विक्रय या स्थानान्तरण नही करने के लिए अप्रार्थीगण अपीलांटस को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया है। अपीलांट ने इसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट रहीम खा उर्फ रहीमा के वारिसान है प्रार्थीगण भूरे खा के वारिसान है। विवादित भूमि धारा 19 में अपीलांट के पूर्वज रहीम खा को खातेदारी मे प्राप्त हुई थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के दिन से आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड रहीम खा एव उनके वारिसान के नाम रहा है। प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वज भूरे खा विवादित भूमि के कभी भी खातेदार काश्तकार नही रहे है न ही खसरा गिरदावरी में इनका कोई अंकन रहा है। ऐसी स्थिति में बिना किसी राजस्व रिकार्ड के अंकन के साक्ष्य के अभाव में विचारण न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में विधिक त्रुटि की है। अतः स्थगन आवेदन स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावें। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एव अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में विवादित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने के पूर्व से अपीलांट के पूर्वज रहीम उर्फ रहीमा के नाम दर्ज चली आना प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड की प्रतियों से प्रथम दृष्टया प्रमाणित है इस राजस्व रिकार्ड मे विवादित भूमि में प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वज भूरे खां का कही भी अकन नही है विचारण न्यायालय ने बिना कोई कारण अंकित किये विचाराधीन अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रिकार्डेड खातेदार को पाबंद कर दिया है जिसे प्रथम दृष्टया ही खारिज योग्य पाया जाता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा हसन बनाम असरार टी.आई. आवेदन में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.12.2018 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विवेचन कर प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर पुन स्पष्ट एवं सकारण आदेश दो माह में पुन पारित करें। अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्तिथि देवें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	